नदबई [illegible]

बयाना पत्रा. पेश हुई। [illegible] वादकारी [illegible]
होने के कारण - स्थगित किया जाता है।
[illegible] के लिए [illegible]
जावे। पत्रावली पेश हो।

पत्रा. पेश हुई। [illegible]
[illegible]

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान अंगूरी बनाम राज.सरकार वगैरा

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 109/2012

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व ..... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खाारिज किया जाता है।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24/4/24 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 24/4/24
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

24/4/24
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

1. अंगूरी पत्नि रामप्रसाद जाति धोबी निवासी बसैयाकलां तह. नदबई (भरतपुर)

वादिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई (भरतपुर)

प्रतिवा

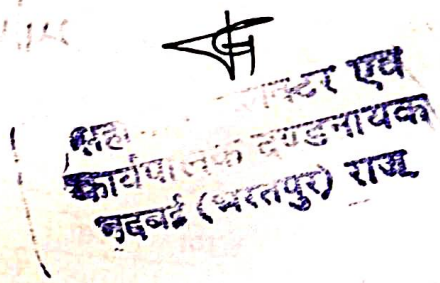

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 109 / 2012
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक २५.०५.2024

1. अंगूरी पत्नि रामप्रसाद जाति धोबी निवासी बसैयाकलां तह. नदबई (भरतपुर)

वादिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादी

उपस्थित श्री श्यामसिंह एड0(वादीगण)

निर्णय दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमाफरीकेन में वादी एवं एवं प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई सख्श नहीं है जो दावा लडने के योग्य न हो यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।
2. यह कि आराजी खसरा न. 9 रकवा 0.28 है. वाके ग्राम बसैयाकलां तहसील नदबई में स्थित है, उक्त खसरा न. 9 व 10 मिन वाके ग्राम बसैयाकलां से बना है। जिस पर वादिनी काबिज होकर काश्त कर रही है। उक्त विवादित आराजी का गत खसरा न. 10 मिन से 1 बीघा 10 विस्वा का आवंटन वादिनी के पति स्व. रामप्रसाद को हुआ था। उक्त

२५/५/२५

आराजी खसरा न. 10 का आवंटन वादिनी के पति रामप्रसाद को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश क्रमांक 1405 तारीख 02.07.1973 द्वारा किया गया था। वक्त अलॉटमेन्ट से ही वादिनी का पति उक्त विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा । इसी खसरा न. 10 से अन्य 18–20 व्यक्तियों का भी आवंटन 02.07.1973 में हुआ जिस पर सभी अलॉटी काबिज होकर काश्त करने लगे। उपरोक्त आवंटन के आधार पर वादिनी के पति रामप्रसाद पुत्र किरोडी को राजस्थान सरकार की लापरवाही से नामांतकरण दर्ज नहीं हुआ। इसलिये उक्त रकवा चारागाह दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जबकि वक्त अलॉटमेन्ट उक्त रकवा सिवायचक दर्ज था। आवंटन कमेटी ने अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को आवंटित कर दिया था। वादिनी के पति रामप्रसाद की मृत्यु के बाद उसकी एकमात्र वारिस हूँ तथा आवंटन के आधार पर आज भी उक्त आराजी काबिज होकर काश्त कर रही हूँ इसलिये वादिनी विवादित आराजी पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी हूँ।

3. यह कि विवादित आराजी चारागाह दर्ज रिकॉर्ड होने की वजह से तहसीलदार नदबई द्वारा एलआर एक्ट 91 के अन्तर्गत कई बार नोटिस दिया जिसका मुझ वादी ने जबाब भी दिया था कि उक्त विवादित आराजी मेरे पति के लिये आवंटित की गई है। लेकिन नामांतकरण नहीं होने की वजह से विवादित भूमि चारागाह दर्ज है। इस पर मेरे जबाब को सही मानते हुये तहसीलदार नदबई ने मु. न. 71/94 व 8/96 सरकार बनाम अंगूरी वेवा रामप्रसाद में आदेश दिया कि अंगूरी का कब्जा होने के

24/5/24

आधार पर आवंटी के नामांतकरण की कार्यवाही कर अमल दरामद की कार्यवाही अलग से चालू की जावे तथा एलआरएक्ट 91 को निरस्त कर दिया। इसलिये वादिनी अपने आपको विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है।

4. यह कि जमाबंदी में अलॉट के आधार पर पटवार कागजात में अमल नहीं होने की वजह से हल्का पटवारी ने दिनांक 16.08.2009 को वामुकाम बसैयाकलां में धमकी दी कि यह रकवा सरकारी है और तुमने अभी तक अलॉटमेन्ट का दाखिला खारिज नहीं कराया है इसलिये आपको बेदखल कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो वादिनी को अजीम क्षति होगी। अतः वादिनी प्रतिवादी को हुक्मदवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने की अधिकारिणी है।

5. अतःप्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र हाल आराजी खसरा न. 9 के इन्द्राज चारागाह को कलमजन कर आवंटन के आधार पर वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुये तथा उपस्थित होकर पत्रावली पर अपना जबाब वादपत्र लिखा गया। जिसमें वर्णित किया कि आराजी खसरा न. 9 रकवा 0.28 है. में वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा, वादी का कहीं रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज नहीं है। उक्त रकवा चारागाह का है, दावा काबिल खारिजी के है। वादी द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर फसल बोने पर एलआरएक्ट की

24/5/24

धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखली की कार्यवाही की गई जो कि नियमानुसार की गई थी। रकवा चारागाह दर्ज अतिक्रमण की कार्यवाही के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः आराजी खसरा न. 9 किस्म चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन नियमविरूद्ध है। अतः दावा वादिनी खारिज किया जावे।

7. यह कि वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के विवेचन के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :—

1. आया विवादित आराजी वादपत्र की वर्णित मद सं. 2 में खसरा न. 9 के इन्द्राज चारागाह को कलमजन कर आवंटन के आधार पर वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।— जिम्मेवादी
2. आया वादिनी प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। — जिम्मेवादी
3. आया आराजी खसरा न. 9 वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है, वादिनी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा था, रिकॉर्ड में कहीं इन्द्राज नहीं है, रकवा चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।— जिम्मेप्रतिवादी
4. आया वादिनी द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर फसल बोने पर नियमानुसार 91 की कार्यवाही की जाकर बेदखली की कार्यवाही की गई, जो नियमानुसार थी। अतिक्रमण की कार्यवाही के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही संभव नहीं है। — — जिम्मेप्रतिवादी

24/5/24

5. आया आराजी खसरा न. 9 किस्म चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है, आरटीए 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन नियमविरूद्ध है। अतः दावा खारिज योग्य है। – जिम्मेप्रतिवादी

8. यह कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2062–65 वाके ग्राम बसैयाकलां, नकल नक्शा ट्रेस खसरा सं. 9 , नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2060, नकल जमाबंदी संबत 2035–38, खतौनी बंदोबस्त वाके ग्राम बसैयाकलां, नकल जमाबंदी संबत 2028 वाके ग्राम बसैयाकलां, नकल जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2035–38 , नकल निर्णय तहसीलदार नदबई मुकदमा 71/94, 08/96 सरकार बनाम अंगूरी वेवा पेश किये गये एवं साक्ष्य के रूप में अंगूरी व अमरचन्द जाति धोबी निवासी बसैयाकलां का शपथपत्र पेश किया गया।

9. यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है :–

1. आया विवादित आराजी वादपत्र की वर्णित मद सं. 2 में खसरा न. 9 के इन्द्राज चारागाह को कलमजन कर आवंटन के आधार पर वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी का था। वादिनी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 02.07.1973 पेश की गई, जिस पर हाल आराजी खसरा न. 9

24/5/24

के गत खसरा न. 10 मिन वाके ग्राम बसैयाकलां से बना है, गत खसरा न. 10 मिन से 1 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन वादिनी के पति रामप्रसाद को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश क्रमांक 1405 दिनांक 02.07.1973 द्वारा अलॉट किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संबत 2062–65 में खसरा न. 9 रकवा 0.28 चारागाह भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। वादिनी द्वारा चारागाह भूमि पर मुताबिक आवंटन अपनी खातेदारी चाही गई है परन्तु कानूनन चारागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता क्योकि भूमि प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है। एवं प्रतिबंधित का आवंटन शून्य माना जावेगा। एवं तहसीलदार ने कब्जाकाश्त भी नही माना है। अतः उक्त आवंटन शून्य होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। एवं वादिनी द्वारा अपने वादपत्र में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त तनकी वादिनी के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया वादिनी प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। – उिक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादिनी का था, चूंकि वर्तमान में चारागाह की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, चारागाह की भूमि पर वादिनी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिये वादिनी प्रतिवादीगण हुक्मदवामी की डिक्री से पाबंद कराने की अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

24/5/24

3. आया आराजी खसरा न. 9 वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है, वादिनी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा था, रिकॉर्ड में कहीं इन्द्राज नहीं है, रकवा चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित आराजी खसरा न. 9 रकवा 0.28 वर्तमान में चारागाह की भूमि दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादिनी द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जाकाश्त संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। न ही राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा संबंधी कहीं इन्द्राज रहे हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

4. आया वादिनी द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर फसल बोने पर नियमानुसार 91 की कार्यवाही की जाकर बेदखली की कार्यवाही की गई, जो नियमानुसार थी। अतिक्रमण की कार्यवाही के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही संभव नहीं है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी था, वादिनी द्वारा विवादित आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रण कर फसल बोई गई जिस पर तहसीलदार नदबई द्वारा एलआरएक्ट 91 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखली की कार्यवाही की गई जो नियमानुसार एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार की गई है, जो नियमानुसार की गई है। वादिनी को अतिक्रमण किये गये रकवे के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही एवं खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

24/4/24

5. आया आराजी खसरा न. 9 किस्म चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है, आरटीए 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन नियमविरूद्ध है। अतः दावा खारिज योग्य है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था, विवादित आराजी खसरा न. 9 किस्म चारागाह राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है, आरटीए 1955 की धारा 16 के अंतर्गत वादिनी को उक्त रकवा पर आवंटन किया गया है, जो कि नियमविरूद्ध है। जो प्रारम्भ से ही शून्य है, जो कि तनकी सं. 1 के विवेचन से स्पष्ट है। अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजीयात खसरा न. 9 रकवा 0.28 है. जो कि चारागाह का रकवा है। उक्त चारागाह की भूमि एवं आवंटन के आधार पर वादिनी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं दिये जा सकते हैं। अतः वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खाारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक २५.५.२५ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

२५/५/२५
(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई (भरतपुर) राज